

4.5.22

दिनांक 3.5.22 का प्रकाश होने पर पत्तावली प्रेषण
पेशा हुई। वकुलाप उपस्थित। बहल प्रार्थना पत्र हल
प्रवण की गई। प्रतिवादी वकील ने दस्तावेजों की प्रती
पेश की जो शामिल मिल रही। पत्तावली वापस प्रेषण
पत्र दिनांक 5.5.22 को पेश हो।

24

5.5.22

पत्तावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। बहल के
दौरान आवेदकगण वकील ने प्रार्थना पत्र में संश्लि
त तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र
में वर्णित भूमि आवेदकगण की पेंसिक भूमि है जो आवेदकगण
व उनके पूर्वजों की कठज काष्ठ की भूमि रही है। आवेदकगण
द्वारा जबरन लाने के बल पर आवेदकगण की पेंसिक
भूमि में कुछ भाग पर नज्जाम कठज कर रखा है।
आवेदकगण की पेंसिक भूमि में आवेदकगण का राजस्व
रिकार्ड है किन्तु उका का संबंध नहीं है। आवेदकगण
वकील ने प्रार्थना पत्र में संश्लि तथ्यों को दोहराया
तथा कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि द्वापरीगण
सं। लजापत 3 की व रामलाल पुत्र मंगला की पेंसिक
भूमि रही है जिन्हें 1/2 हिस्से पर द्वापरीगण का नज्जाम
काष्ठ है जिन्हें वेदवली का आवेदकगण को कोई

25

कार्यवाही विवरण

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

व अन्निका नहीं है) पत्तावली का दृष्टान्तपूर्वक प्रवर्तन
 किया गया एवं वाम पर प्रवर्तन किया गया। पत्तावली
 व उपलब्ध दस्तावेजों के प्रवर्तन के पाते हैं कि
 प्रार्थीगण उक्त विवरित शक्ति पर कब्जा कब्जा है व
 प्रकाश बनाकर (आबाद है) उपर्युक्त प्रार्थीगण
 का प्रवर्तन दस्तावेजगण की बजाय दस्तावेजगण के
 पत्र में होने के प्रार्थीगण जति की दस्तावेजगण को ही
 भारित होती है। उक्त विवरण के प्रार्थीगण का प्रार्थना
 पत्र दस्तावेजी निषेधाज्ञा जारी किया जाता उचित
 एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्देश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी निषेधाज्ञा जारी
 होने के जारी किया जाता है। पत्तावली केमल
 (ड्राफ्ट होकर नम्बर के कम हो तथा जारी कर दे।)

अथ ए -
 5/5/22